

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(21)नविवि / मारवाड़ जंक्शन / 2024

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को मारवाड़ जंक्शन (जिला-पाली) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, को सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2043 तक के लिये मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती है:-

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील
1.	मारवाड़ जंक्शन	MARWAR JUNCTION	मारवाड़ जंक्शन
2.	खारची	KHARCHI	मारवाड़ जंक्शन
3.	हेमलीयावास खूर्द	HEMLIYAWAS KHURD	मारवाड़ जंक्शन
4.	हेमलीयावास कलां	HEMLIYAWAS KALAN	मारवाड़ जंक्शन
5.	सूर्यनगर	SURYANAGAR	मारवाड़ जंक्शन

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, पाली।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (पूर्व), जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
- अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका, मारवाड़ जंक्शन (जिला-पाली)।

9461377

10. प्रौग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम